सलाम समरजीत सिंह

बनाम

इंफाल और अन्य में मणिपुर का उच्च न्यायालय

(रिट याचिका (सी) संख्या 294 /2015)

अक्टूबर 07, 2016

[शिवा कीर्ति सिंह और आर. भानुमति, न्यायाधिपति.]

न्यायपालिका - न्यायिक सेवा - चयन - एक अतिरिक्त पात्रता शर्त/आवश्यकता जोड़कर चयन प्रक्रिया के बीच में चयन मानदंड में बदलाव - अनुमति - मणिपुर न्यायिक सेवा ग्रेड- / -चयन जिला न्यायाधीश *(प्रवेश स्तर)* के पद पर नियुक्ति के लिए-- प्रतिवादी - उच्च न्यायालय ने मौखिक परीक्षा से कुछ दिन पहले ही मौखिक परीक्षा *(साक्षात्कार)* के लिए कट-ऑफ/न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए - याचिकाकर्ता, एकमात्र उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में असफल घोषित किया गया - क्या मौखिक परीक्षा के दौरान मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे चयन प्रक्रिया के दौरान एक अतिरिक्त आवश्यकता जोड़कर मानदंड में बदलाव किया गया, क्योंकि शुरू में *(यानी चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले)* न्यूनतम योग्यता अंक केवल लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए थे, न कि मौखिक परीक्षा के लिए - मतभेद को देखते हुए , मामला उचित पीठ को भेजा गया - मणिपुर न्यायिक सेवा नियम, *2005* सेवा कानून - चयन।

मामले को उचित पीठ के पास भेजते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

अनुसार आर. भानुमति, न्यायाधिपति

1.1 जैसा कि मणिपुर न्यायिक सेवा नियम, **2005** से देखा जा सकता है, शीर्ष के तहत - "न्यायिक चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन", प्रत्येक

प्रश्न के संख्यात्मक अंकों को एक उचित ग्रेड में परिवर्तित करने की एक योजना, दिए गए सूत्र के अनुसार तालिका और पुनः ग्रेड में परिवर्तित करना निर्धारित है। तालिका में, अंकों का प्रतिशत और ग्रेड निर्धारित किया गया है कि **40%** से कम अंक ग्रेड 'एफ' है जिसका अर्थ है 'असफल' और इसका ग्रेड मान '0' है। प्रतिवादी-उच्च न्यायालय ने कहा कि साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में न्यूनतम **40%** अंक निर्धारित करने वाला पूर्ण न्यायालय का निर्णय लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा।में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंडों में स्थिरता लाने के लिए लिया गया था।चूंकि एमजेएस नियमों में पहले से ही निर्धारित है कि **40%** से कम अंक ग्रेड 'एफ' और ग्रेड वैल्यू '0' है, नियमों में यह अंतर्निहित था कि परीक्षा में 'पास' के लिए, **40%** न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, हालांकि बेशक एमजेएस नियमों के अनुसार, यह लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मान के लिए है। एमजेएस नियमों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, संख्यात्मक अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने वाली तालिका और अंतिम चयन सूची जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/वाइवा-वॉयस परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मान को जोड़कर तैयार की जाती है, साक्षात्कार/वाइवा-वॉयस के लिए **50** में से कुल अंक में से **40%** तय करना एमजेएस नियमों के अनुरूप है और यह चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के मानदंडों में बदलाव नहीं होगा। **[अनुच्छेद 14] [782-जी-एच; 783-ए-डी]**

1.2 इसके अलावा खंड **1(3),** एमजेएस नियमों के सामान्य निर्देश उच्च न्यायालय के पक्ष में एक अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो उच्च न्यायालय को नियमों में विशेष रूप से निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अलावा प्रक्रियाओं का सहारा लेने में सक्षम बनाता है। इसमें प्रावधान है कि "इन नियमों के तहत भर्ती के लिए इन नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम भर्ती प्राधिकरण द्वारा तय किए जाएंगे"। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करने में प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। नियमों में

साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, कानून का ज्ञान, स्पष्ट और मौलिक प्रदर्शन, बौद्धिक गहराई आदि का आंकलन करके उसकी उपयुक्तता का आंकलन करना सही बताया गया था। नियमों ने साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए भी एक सशक्त और वस्तुनिष्ठ ग्रेड मूल्य अभ्यास निर्धारित किया है। नियमों को ध्यान में रखते हुए और जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को साक्षात्कार के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करके अपने पक्ष में आरक्षित अपने अवशिष्ट अधिकार का प्रयोग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। [अनुच्छेद 15][783-डी-जी]

हेमानी मल्होत्रा आदि बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2008) 7 एससीसी 11: 2008 (5) एससीआर 1066; के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) 3 एससीसी 512: 2008 (2) एससीआर 1025 को अनुपयुक्त माना गया।

तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य (2013) 4 एस. सी. सी. 540; कुलविंदर पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी 532 - पर निर्भर।

मदन लाल एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य (1995) 3 एससीसी 486: 1995 (1) एससीआर 908; हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य (1974) 3 एससीसी 220 : 1974 (1) एससीआर 165; रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य (2010) 3 एससीसी 104: 2010 (2) एससीआर 256; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य (2002) 4 एससीसी 247: 2002 (2) एससीआर 712 - संदर्भित।

<u>अनुसार शिवा कीर्ति सिंह, न्यायाधिपति (असहमति)</u>

1.1 मणिपुर न्यायिक सेवा नियम, 2005 और निर्देशों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि अतीत में मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ अंक या उत्तीर्ण अंक नहीं था

और इसलिए 12.01.2015 को उच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट प्रस्ताव बनाया कि कोई भी जब तक वह साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त नहीं कर लेता, उसे उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा और नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। नियमों में जोड़ने की इस शक्ति का दावा नियमों की अनुसूची 'बी' के नियम 1 के उप-नियम (3) के प्रावधानों से किया गया है, जो भर्ती प्राधिकारी को इन नियमों के तहत भर्ती के लिए "इन नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम" उठाने का अधिकार देता है। नियम....."। 12.01.2015 को उच्च न्यायालय का प्रस्ताव नियमों में इस प्रावधान को व्यक्त करने के विपरीत था कि दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची कैसे तैयार की जानी थी। लिखित परीक्षा के लिए प्रावधान करते समय मौखिक परीक्षा के लिए कोई उत्तीर्ण अंक प्रदान नहीं करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नियमों ने जानबूझकर मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ निर्धारित नहीं करने का फैसला किया है। इसका स्पष्टीकरण शेट्टी आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों में निहित है। भर्ती के लिए ऐसी परीक्षा के संबंध में नियम अधिकांश सिफारिशों की लगभग शब्दशः नकल हैं। स्पष्ट रूप से, उन्होंने शेट्टी आयोग की सिफारिश का भी पालन किया कि मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट ऑफ या फेल अंक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ऐसी चूक इच्छित परिणाम को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। यहां कोई अंतराल या शून्यता नहीं थी और इसलिए नियमों का खंड 1(3) लागू नहीं होता है। इसलिए, पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए प्रस्ताव द्वारा नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता था। [अनुच्छेद 7][795-सी-एच]

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, पहले से ही शुरू की गई चयन प्रक्रिया के बीच में साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक प्रदान करके चयन प्रक्रिया में बदलाव लाने का विवादित कार्य खेल के नियमों को बदलने के समान है और इसलिए अनुमति योग्य नहीं है. [अनुच्छेद 8][796-सी-डी]

के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) 3 एससीसी 512: 2008 (2) एससीआर 1025; हेमानी मल्होत्रा आदि बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2008) 7 एससीसी 11: 2008 (5) एससीआर 1066 पर भरोसा किया गया।

1.3 उच्च न्यायालय के पास उन नियमों की योजना को बदलने की शक्ति नहीं थी जो केवल लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक निर्धारित करते थे, मौखिक परीक्षा के लिए जानबूझकर इसे हटा दिया और दोनों अंकों को जोड़ने के बाद अंतिम परिणाम की गारंटी दी। यदि तर्कों के लिए, ऐसी शक्ति को स्वीकार कर लिया जाता है तब भी खेल के नियमों को बदलने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था जब याचिकाकर्ता को अकेले मैदान में छोड़ दिया गया था और नियमों को बीच में बदलने के अलावा अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था। वैधानिक नियमों ने चयन का एक विशेष तरीका निर्धारित किया था जिसके लिए मौखिक परीक्षा के लिए किसी भी उत्तीर्ण अंक की आवश्यकता नहीं थी और कम से कम चल रही भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक इसका कड़ाई से पालन किया जाना था। चूँकि प्रक्रिया पहले से ही नियमों द्वारा निर्धारित की गई थी, वर्तमान मामले में मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के रास्ते में कानून की स्पष्ट बाधा थी जो केवल याचिकाकर्ता के लिए थी क्योंकि वह लिखित परीक्षा में सफल एकमात्र अभ्यर्थी था। याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और हालांकि पक्षपात का कोई मामला पेश नहीं किया गया है, लेकिन विवादित कार्रवाई वैध रूप से कानून में द्वेष की आलोचना को आकर्षित करेगी। याचिकाकर्ता का दिनांक 16.02.2015 का मौखिक परीक्षा परिणाम, जिसमें उसे 'असफल' दिखाया गया था, रद्द कर दिया जाएगा। [अनुच्छेद 8,12][796-जी; 797-ए, बी-डी; 799-बी-सी]

तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य (2013) 4 एससीसी 540; हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य (1974) 3 एससीसी 220: 1974(1) एससीआर 165; मदन लाल एवं अन्य बनाम जम्मू

एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य **(1995) 3** एससीसी **486: 1995 (1)** एससीआर **908** - अनुपयुक्त ठहराया गया।

रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य **(2010) 3** एससीसी **104: 2010 (2)** एससीआर 256; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2002) 4** एससीसी **247: 2002 (2)** एससीआर **712;** कुलविंदर पाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी 532 - संदर्भित।

केस लॉज संदर्भ

आर. भानुमति, न्यायाधिपति के फैसले में:

1984 (2) एससीआर **200**	संदर्भित	अनुच्छेद **4**
1985 (2) तितम्बा एससीआर **367**	संदर्भित	अनुच्छेद **4**
2008 (2) एससीआर **1025**	अनुपयुक्त ठहराया गया	अनुच्छेद **21**
2008 (5) एससीआर **1066**	अनुपयुक्त ठहराया गया	अनुच्छेद **21**
1974 (1) एससीआर **165**	संदर्भित	अनुच्छेद **21**
2010 (2) एससीआर **256**	संदर्भित	अनुच्छेद **22**
(2013) 4 एससीसी **540**	निर्भर	अनुच्छेद **21**
2002 (2) एससीआर **712**	संदर्भित	अनुच्छेद **24,26**
1995 (1) एससीआर **908**	संदर्भित	अनुच्छेद **28**
(2016) 6 एससीसी **532**	निर्भर	अनुच्छेद **30**

शिव कीर्ति सिंह, न्यायाधिपति के फैसले में:

2008 (2) एससीआर **1025**	निर्भर	अनुच्छेद **8**
2008 (5) एससीआर **1066**	निर्भर	अनुच्छेद **8**
2010 (2) एससीआर **256**	संदर्भित	अनुच्छेद **8**
(2013) 4 एससीसी **540**	अनुपयुक्त ठहराया गया	अनुच्छेद **9**
1974 (1) एससीआर **165**	अनुपयुक्त ठहराया गया	अनुच्छेद **9**
2002 (2) एससीआर **712**	संदर्भित	अनुच्छेद **10**
1995 (1) एससीआर **908**	अनुपयुक्त ठहराया गया	अनुच्छेद **11**
(2016) 6 एससीसी **532**	संदर्भित	अनुच्छेद **11**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 294/2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

संजय हेगड़े, सीनियर. अधिवक्ता, बोबॉय पी., राजीव मेहता, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए।

विजय हंसारिया, सीनियर. सलाहकार, सुश्री. स्नेहा कलिता, अवनीश पांडे, सत्यम ज्योति सैकिया, एस गौतमन, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और एक सामान्य आदेश आर. भानुमति, न्यायाधिपति द्वारा दिए गए थे।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा 16 फरवरी, 2015 को ज़ारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट ज़ारी करने की प्रार्थना की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को मणिपुर न्यायिक सेवा ग्रेड- । में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षा में असफल घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने पूर्वव्यापी प्रभाव से मणिपुर न्यायिक सेवा ग्रेड- । में अपनी नियुक्ति की घोषणा करने के लिए आगे के निर्देश की मांग की है।

2. मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना संख्या एचसीएल/ए-1/2013-ए&ई(जे)/288 दिनांक 15 मई, 2013 के माध्यम से एक विज्ञापन ज़ारी किया गया था, जिसमें जिला न्यायाधीश के एक रिक्त (अनारक्षित) पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे (प्रवेश स्तर) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) सीधी भर्ती परीक्षा, 2013 के माध्यम से। उच्च न्यायिक सेवा में उपरोक्त विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 'अनुसूचित जाति' की श्रेणी के तहत उक्त पद के लिए पात्र होने के लिए आवेदन किया था। परीक्षा 21, 22 और 23 जुलाई, 2013 को आयोजित की गई थी और याचिकाकर्ता भी इसमें शामिल हुआ था। मणिपुर उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर, 2013 को एक अधिसूचना ज़ारी की जिसमें कहा गया कि किसी भी उम्मीदवार ने उक्त परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल नहीं किए हैं। उक्त परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक 29 जनवरी, 2014 को मणिपुर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए परिणाम से, याचिकाकर्ता को पता चला कि उसने 52.8%अंक प्राप्त किए हैं और वह दिनांक 15 मई, 2013 के गैजेट और मणिपुर न्यायिक सेवा नियम, 2005 की अनुसूची "बी" (संक्षेप में 'एमजेएस नियम') के अनुसार साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए पात्र था, क्योंकि वह मणिपुर राज्य का अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा ज़ारी 17 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना की समीक्षा के

लिए 4 फरवरी, 2014 को उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया था। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के जवाब में, उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी, 2014 को एक शुद्धिपत्र ज़ारी किया, जिसमें उक्त अधिसूचना को संशोधित करते हुए कहा गया कि केवल एक उम्मीदवार अर्थात् श्री सलाम समरजीत सिंह (एससी) यहां ने सीधी भर्ती कोटा के तहत एमजेएस ग्रेड- । में भर्ती के लिए 21, 22 और 23 जुलाई, 2013 को आयोजित लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल किए थे और मौखिक परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य पाए गए थे। उसमें यह भी कहा गया था कि साक्षात्कार के लिए तारीख और समय उचित समय पर सूचित किया जाएगा। मौखिक परीक्षा आयोजित करने से पहले, प्रतिवादी उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2015 को एक पूर्ण न्यायालय की बैठक आयोजित की थी जिसमें एक एजेंडा "साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के लिए अर्हक अंक" निर्धारित करना था। इस एजेंडे पर चर्चा के बाद, पूर्ण न्यायालय ने निर्णय लिया कि "किसी को भी तब तक उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा और नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह साक्षात्कार में न्यूनतम *40%* अंक प्राप्त न कर ले।"

3. याचिकाकर्ता 12 फरवरी, 2015 को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों वाली साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित हुआ। साक्षात्कार में, याचिकाकर्ता को 50 अंकों में से 18.8 अंक यानी 37.6% प्राप्त हुए। चूंकि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा 16 फरवरी, 2015 को ज़ारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहा, इसलिए याचिकाकर्ता को "चयनित नहीं" घोषित कर दिया गया। उपरोक्त अधिसूचना से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें अधिसूचना को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की रिट और उच्च न्यायालय को पूर्वव्यापी प्रभाव से उसे एमजेएस ग्रेड- । में नियुक्त घोषित करने का निर्देश देने वाला एक अन्य परमादेश देने की मांग की गई है।

4. रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि योग्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाना चाहिए और इसके लिए मौखिक परीक्षा में न्यूनतम बेंच मार्क तय करना स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, साक्षात्कार में उनकी गैर-अर्हता और उसके बाद 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना इस न्यायालय द्वारा में निर्धारित कानून का उल्लंघन है पी.के रामचन्द्र अय्यर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य *(1984) 2* एससीसी *141* और उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य *(1985) 3* एससीसी *721* । यह आगे कहा गया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले, चयन समिति ने केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए थे और चयन प्रक्रिया के दौरान, वह अतिरिक्त पात्रता शर्त/आवश्यकता जोड़कर मानदंड को नहीं बदल सकती है कि उम्मीदवार साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे।

5. नोटिस पर, उत्तरदाताओं ने उपस्थिति दर्ज की और अपना जवाबी हलफनामा दायर किया।

6. प्रतिवादी-उच्च न्यायालय का मामला यह है कि 2013 परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया एमजेएस नियमों के तहत निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उचित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई है और उत्तरदाताओं की कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है और भारत के संविधान के एमजेएस नियमों की अनुसूची 'बी' मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 40% निर्धारित करती है। यह प्रतिवादी-उच्च न्यायालय का मामला है कि साक्षात्कार समिति, द्वारा मौखिक परीक्षा आयोजित करने से पहले 12 जनवरी, 2015 के पूर्ण न्यायालय संकल्प में निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों को और स्पष्ट किया गया है ताकि किसी भी विसंगति से बचा जा सके।

7. प्रतिवादी-उच्च न्यायालय ने अपने जवाबी हलफनामे में आगे कहा है कि भर्ती समिति ने याचिकाकर्ता के साक्षात्कार के दौरान, जो आधे घंटे तक चला, नौ

विषयों में उम्मीदवार का व्यक्तिगत मूल्यांकन किया (प्रत्येक विषय में 5.55 अंक थे) । याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्येक सदस्य से प्राप्त कुल अंक 19.5, 19.0 और 18.0 थे, जो कुल 37.6% थे। याचिकाकर्ता मौखिक परीक्षा में 40% के न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में विफल रहा, जैसा कि एमजेएस नियम मेंनिर्धारित हैऔर इसलिए वह साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने में असफल रहे और रिट याचिका में मांगी गई राहत का हकदार नहीं हैं।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

9. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री संजय आर. हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि 12 जनवरी, 2015 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव में कट-ऑफ अंक तय करना - साक्षात्कार में न्यूनतम 40%, 2005 नियमों की अनुसूची बी में दिए गए प्रदर्शन के मूल्यांकन की एक गलत व्याख्या है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक के मानदंड को लागू करने के लिए उत्तरदाताओं की कार्रवाई चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंड में बदलाव होगी। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को 12 जनवरी, 2015 के उस संकल्प के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया जिसमें साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने का प्रावधान था और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस तर्क के समर्थन में कि चयन प्रक्रिया के दौरान 'खेल के नियमों में बदलाव किया जाएगा पूरे चयन को ख़राब करेगा, हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय *(2008) 7* एससीसी *11* और के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य *(2008) 3* एससीसी *512* ।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि एमजेएस नियमों की अनुसूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों के लिए संचयी रूप से न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करती है; और नियमों द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों को 12 जनवरी, 2015 की पूर्ण न्यायालय की बैठक में और स्पष्ट किया गया ताकि साक्षात्कार समिति द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षा के दौरान किसी भी विसंगति

से बचा जा सके। यह प्रस्तुत किया गया था कि एमआईएस नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि "भर्ती के लिए नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम भर्ती प्राधिकरण द्वारा तय किए जाएंगे" और जबकि, 12 जनवरी, 2015 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव में न्यूनतम कट-ऑफ अंक तय किए गए थे। क्योंकि 40% से खेल के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने नियमों से विचलन नहीं किया है और न ही उपरोक्त चयन प्रक्रिया के लिए कोई अलग मानदंड अपनाया है।

11. मणिपुर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), ग्रेड- । के एक "अनारक्षित" पद को बार से सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए, भर्ती प्रक्रिया दिनांक 15 मई, 2013 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई थी। सामान्य भर्ती की योजना के संबंध में निर्देश उक्त विज्ञापन में संलग्न किये गये थे। विज्ञापन में उक्त निर्देश मणिपुर न्यायिक सेवा नियम, 2005 की अनुसूची 'बी' 6 प्रतियोगी परीक्षा से शामिल किए गए थे। एमजेएस नियमों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी परीक्षा में दो भाग होते हैं, (i) लिखित परीक्षा जिसमें तीन पेपर होते हैं प्रत्येक में 100 अंक कुल 300 अंक; (ii) साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) 50 अंकों का। अनुसूची 'बी' खंड 1(3) में सामान्य निर्देश निम्नानुसार पढ़ें:-

3. सामान्य निर्देश**:-**

लिखित परीक्षा में साठ प्रतिशत या अधिक अंक या तदनुरूपी ग्रेड प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में पचास प्रतिशत या अधिक अंक या संबंधित ग्रेड प्राप्त करते हैं, वे मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

उम्मीदवारों का चयन लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

उप-नियम (1) और (2) के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य मानसिक सतर्कता, कानून का ज्ञान, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, निर्णय का संतुलन, कौशल का आंकलन करके कैडर के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आंकलन करना है , दृष्टिकोण, नैतिकता, आत्मसात करने की शक्ति, संचार की शक्ति, चरित्र और बौद्धिक गहराई और उम्मीदवार की पसंद द्वारा।

इन नियमों के तहत भर्ती के लिए इन नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम भर्ती प्राधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे।

लिखित और मौखिक परीक्षा में ग्रेडिंग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का तरीका नीचे निर्दिष्ट किया जाएगा:

न्यायिक चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन

ये प्रणाली इस प्रकार संचालित होती है:-

1. प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए संख्यात्मक अंक हो सकते हैं।

2. परीक्षक प्रत्येक उप-प्रश्न के लिए संख्यात्मक अंक निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें कुल मिलाकर प्रत्येक पूर्ण प्रश्न के सामने संख्याओं में दिखाया जा सकता है।

3. सारणीकार फिर संख्यात्मक अंकों को सात बिंदु पैमाने पर ग्रेड में परिवर्तित करेगा, जिसमें संबंधित ग्रेड मान निम्नानुसार होंगे:

अंकों का प्रतिशत ग्रेड मान	ग्रेड	ग्रेड मान
70% और उससे अधिक	ओ	7
65& से 69%	ए+	6
60% से 64%	ए	5

55% से 59%	बी+	4
50% से 54%	बी	3
45% से 49%	सी+	2
40% से 44%	सी	1
40% से नीचे	एफ	0

4. प्रत्येक प्रश्न के संख्यात्मक अंकों को ऊपर सारणी के प्रथम कॉलम में दिए गए फार्मूले के अनुसार उचित ग्रेड में परिवर्तित करने के बाद सारणीकार प्रत्येक प्रश्न के लिए प्राप्त ग्रेड को उपरोक्त तीसरे कॉलम में दिए गए मान के अनुसार ग्रेड मान में परिवर्तित कर देगा।

.....

6. यदि कई सफल उम्मीदवार समान ग्रेड प्राप्त कर रहे हों और उपलब्ध पदों की संख्या कम हो तो क्या होगा? यह निर्धारित करने के लिए कि किसे नौकरी दी जानी है, आप उन्हें कैसे रैंक करते हैं? बेशक, यह स्थिति संख्यात्मक अंकन के साथ भी विकसित हो सकती है जहां एक अंक के आधे अंक के अंतर वाले व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। यह इस तथ्य को देखते हुए अनुचित है कि वास्तविक व्यवहार में व्यक्तिगत परीक्षकों की ओर से व्यक्तिपरक तत्वों के खेल के कारण ऐसा हो सकता है। इसलिए जो अनुशंसा की जाती है वह मौखिक परीक्षा के लिए भी एक समान सशक्त और वस्तुनिष्ठ ग्रेड मूल्य अभ्यास है।

7. प्रत्येक दिन के साक्षात्कार के अंत में सारणीकार-प्रत्येक श्रेणी को दिए गए संख्यात्मक अंकों को ग्रेड में और फिर ग्रेड मानों में बदल देगा। फिर इसका योग किया

जाएगा और साक्षात्कार में शामिल प्रत्येक उम्मीदवार का संचयी ग्रेड मूल्य औसत प्राप्त किया जाएगा।

.....

9. अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मान को मिलाकर तैयार की जाएगी। **[ज़ोर दिया गया]**

12. ग्रेड-I न्यायिक अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपरोक्त निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ 2013 के विज्ञापन में शामिल किए गए थे। खंड 1(3)-अनुसूची 'बी' में सामान्य निर्देश को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पहले प्रतिवादी ने आवश्यक कदम उठाने के लिए अपने पक्ष में एक अवशिष्ट अधिकार सुरक्षित रखा है जो नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। याचिकाकर्ता का साक्षात्कार/मौखिक (वाईवा-वॉयस) आयोजित करने से पहले, उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2015 को एक पूर्ण न्यायालय बैठक आयोजित की जिसमें एजेंडा नंबर 2 - "साक्षात्कार के लिए योग्यता अंक (वाईवा-वॉयस)" पर चर्चा की गई। नियमों का उल्लेख करने के बाद- "न्यायिक चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन" और संख्यात्मक अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने की तालिका, पूर्ण न्यायालय ने निर्णय दिया कि 40% अंक साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक होंगे। पूर्ण न्यायालय का संकल्प इस प्रकार है:-

12.01.2015 को माननीय मुख्य न्यायाधीश

के कक्ष में आयोजित पूर्ण न्यायालय का

कार्यवृत्त

एजेंडा नंबर 2: साक्षात्कार (वाईवा-वॉयस) के लिए योग्यता /अर्हक अंक: साक्षात्कार (वाईवा-वॉयस) उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अर्हक अंक कितने प्रतिशत होंगे, इस प्रश्न

पर चर्चा की गई है। मणिपुर न्यायिक सेवा (एमजेएस) नियमों की अनुसूची-बी के उप-नियम (3) के निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखा गया:

"इन नियमों के तहत भर्ती के लिए इन नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम भर्ती प्राधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे। लिखित और मौखिक परीक्षा में ग्रेडिंग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का तरीका नीचे निर्दिष्ट किया जाएगा:

.....

पूर्ण न्यायालय ने उपरोक्त राज्यों के नियमों और ऊपर दिए गए ग्रेड वैल्यू के साथ अंकों के प्रतिशत में भर्ती प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति पर विचार करने के बाद निर्णय लिया कि किसी को भी उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा और नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह साक्षात्कार (मौखिक साक्षात्कार) से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न कर ले।

13. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद और मौखिक परीक्षा आयोजित करने से पहले साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में 40% अंक निर्धारित करना उत्तरदाताओं के अधिकार में था; या क्या यह चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के मानदंडों में बदलाव के समान है।

14. जैसा कि एमजेएस नियमों में शीर्ष के तहत देखा गया है- "न्यायिक चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन का मूल्यांकन", प्रत्येक प्रश्न के संख्यात्मक अंकों को तालिका में दिए गए सूत्र के अनुसार उचित ग्रेड में परिवर्तित करने की एक योजना और पुनःपरिवर्तित करना ग्रेड में, निर्धारित है । तालिका में, अंकों का प्रतिशत और ग्रेड निर्धारित करता है कि 40% से कम अंक ग्रेड 'एफ' है जिसका अर्थ है 'असफल' और इसका ग्रेड मान '0' है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पूर्ण न्यायालय का निर्णय

न्यूनतम 40% निर्धारित करता है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंडों में स्थिरता लाने के लिए साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में अंक लिए गए थे। चूंकि एमजेएस नियम पहले से ही निर्धारित करते हैं कि **40%** से कम अंक ग्रेड 'एफ' है ग्रेड मान **'0'** के साथ, यह नियमों में निहित है कि परीक्षा में 'उत्तीर्ण' के लिए, 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, हालांकि एमजेएस नियमों के अनुसार, यह प्राप्त संचयी ग्रेड मान के लिए है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में। एमजेएस नियमों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, संख्यात्मक अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने वाली तालिका और अंतिम चयन सूची जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त संचयी ग्रेड मान को जोड़कर तैयार की जाती है। वाइवा-वॉयस, यह मेरा सुविचारित विचार है कि साक्षात्कार/वाइवा-वॉयस के लिए कुल 50 अंकों में से 40% निर्धारित करना एमजेएस नियमों के अनुरूप है और इससे चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के मानदंडों में बदलाव नहीं होगा।

15. खंड 1(3), एमजेएस नियमों के सामान्य निर्देश उच्च न्यायालय के पक्ष में एक अधिकार सुरक्षित रखते हैं जो उच्च न्यायालय को नियमों में विशेष रूप से निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अलावा प्रक्रियाओं का सहारा लेने में सक्षम बनाता है। इसमें प्रावधान है कि "इन नियमों के तहत भर्ती के लिए इन नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम भर्ती प्राधिकरण द्वारा तय किए जाएंगे"। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करने में उच्च न्यायालय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य नियमों में सही ढंग से कहा गया है कि उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, कानून का ज्ञान, स्पष्ट एफ और मूल प्रदर्शन, बौद्धिक गहराई और इसी तरह का आंकलन करके उसकी उपयुक्तता का आंकलन किया जाए। नियम आगे साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए भी एक सशक्त और वस्तुनिष्ठ

ग्रेड मूल्य अभ्यास निर्धारित करते हैं। नियमों को ध्यान में रखते हुए और जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) पद की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को साक्षात्कार के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित करके अपने पक्ष में आरक्षित अपने अवशिष्ट अधिकार का प्रयोग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

16. यह तर्क देते हुए कि चयन प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक लागू करके चयन के मानदंडों में बदलाव खेल के नियमों में बदलाव होगा, के. मंजुश्री बनाम ए.पी. राज्य (2008) 3 एससीसी 512 पर निर्भर किया गया था। जिसमें इस न्यायालय ने ठहराया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय चयन मानदंड को अपनाया और घोषित किया जाना चाहिए। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। यह माना गया कि सक्षम प्राधिकारी, यदि वैधानिक नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, तो लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ऐसा नुस्खा चयन प्रक्रिया शुरू होने के समय ही किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के मानदंडों में बदलाव की अनुमति नहीं है।

17. याचिकाकर्ता के वकील ने हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2008) 7 एससीसी 11 पर भी निर्भर किया है। हेमानी मल्होत्रा मामले में, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की लिखित परीक्षा का परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया था। दिल्ली, और वहां याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत संचार भेजा गया, जिसमें उन्हें साक्षात्कार के लिए उनके चयन की सूचना दी गई। पांच उम्मीदवारों को विभिन्न अवसरों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और इसके स्थगन की सूचना दी गई थी, यानी पहले 20.09.2006 के लिए निर्धारित साक्षात्कार को बाद में 29.11.2006, दिनांक 07.12.2006, 23.01.2007, 05.02.2007 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और अंततः 27.02.2007 को आयोजित किया गया था। इस बीच 13.12.2006 को, एक पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव द्वारा, मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक

निर्धारित किए गए (सामान्य उम्मीदवारों के लिए 55% और एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 50%) । ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना मंजुश्री के मामले की तर्ज़ पर ही रद्द कर दिया गया था।

18. हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2008) 7 एससीसी 11 मामले में यह देखते हुए कि लिखित परीक्षा आयोजित होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना स्वीकार्य नहीं था, इसे निम्नानुसार माना गया था:

> "*15.* इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन को विनियमित करने वाले नियम बनाने वाला प्राधिकारी लिखित परीक्षा और वाइवा-वॉयस दोनों के लिए नियमों द्वारा न्यूनतम अंक निर्धारित कर सकता है, लेकिन यदि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले वाइवा-वॉयस के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए जाते हैं संबंधित प्राधिकारी, चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद कोई अतिरिक्त आवश्यकता/योग्यता नहीं जोड़ सकता है कि उम्मीदवार को साक्षात्कार में न्यूनतम अंक भी प्राप्त करने चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी द्वारा न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाना साक्षत्कार/ मौखिक परीक्षा के समय अवैध था।"

19. हेमानी मल्होत्रा में, उम्मीदवारों को विभिन्न तिथियों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था लेकिन कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया था और इसे स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किये गये। हमारे सामने ऐसा मामला नहीं है। इस मामले में, 12 फरवरी, 2015 को आयोजित साक्षात्कार से पहले, 12 जनवरी, 2015 को एक पूर्ण न्यायालय की बैठक आयोजित की गई थी और मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित

करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार, यह तर्क देना गलत होगा कि याचिकाकर्ता के साथ पूर्वाग्रह पैदा हुआ, खासकर जब किसी पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया गया हो।

20. रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य में मंजुश्री और हेमनी मल्होत्रा (2010) 3 एससीसी 104 के मामलों का जिक्र करने के बाद इसे भी निम्नानुसार आयोजित किया गया था।-

> *"15.* इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि वैधानिक नियम चयन का एक विशेष तरीका निर्धारित करते हैं, तो उसके अनुसार कड़ाई से पालन करना होगा। यदि नियमों द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है और कानून में कोई अन्य बाधा नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी चयन के लिए मानदंड निर्धारित करते समय परीक्षणों के लिए निर्धारित कर सकता है और लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा के लिए भी न्यूनतम बेंचमार्क निर्दिष्ट कर सकता है।
>
> *16.* वर्तमान मामले में, नियम परीक्षण आयोजित करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया/मानदंड का प्रावधान नहीं करते हैं, बल्कि यह उच्च न्यायालय को मानदंड निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ *(3)* बनाम भारत संघ *(2002) 4* एससीसी *247* में इस संबंध में न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक न रखने का प्रावधान किया गया था। न्यायालय ने आगे बताया कि उक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा वैधानिक नियमों में संशोधन किया जा सकता है। हालाँकि, संशोधन होने तक रिक्तियाँ मौजूदा वैधानिक नियमों के अनुसार भरी जाएंगी। सैयद टी.ए.नक्शबंदी

बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य *(2003) 9* एससीसी *592* और मलिक मजहर सुल्तान *(3)* बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग *(2008) 17* एससीसी *703* में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से निपटने के दौरान इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण दोहराया गया है। हमने निर्णय लेते समय उक्त स्थापित कानूनी प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है संबंधित मामले यानी राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय *(2010) 2* एससीसी *637* इस तिथि के फैसले और आदेश के तहत। राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय *(2010) 2* एससीसी *637* में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां वैधानिक नियम किसी विशेष विषय/मुद्दे से संबंधित नहीं हैं, जहां तक न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा ज़ारी किए गए निर्देशों का बाध्यकारी प्रभाव होगा।"

21. हेमानी मल्होत्रा और रमेश कुमार दोनों ने मंजुश्री पर भरोसा करते हुए कहा कि लिखित परीक्षा आयोजित होने के बाद साक्षात्कार में न्यूनतम अंक निर्धारित करने की अनुमति नहीं है। हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य (1974) 3 एससीसी 220 का हवाला देने के बाद और यह देखते हुए कि बिना किसी जांच के मंजुश्री में निर्धारित सिद्धांत बड़े सार्वजनिक हित या एक कुशल प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के लक्ष्य में नहीं होंगे, तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य (2013) 4 एससीसी 540 में (तीन न्यायाधीश), इस न्यायालय ने पाया कि मामला एक बड़ी बेंच द्वारा विचार योग्य है । अनुच्छेद (12) से (15) में इसे इस प्रकार रखा गया:-

12. यदि मंजुश्री मामले *(2008) 3* एससीसी *512* के सिद्धांत को वर्तमान मामले में सख्ती से लागू किया जाता है, तो प्रतिवादी उच्च न्यायालय *21* में से *"*सर्वश्रेष्ठ*"* उम्मीदवारों में से *13* को भर्ती

करने के लिए बाध्य है, जिन्होंने आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन की परवाह किए बिना आवेदन किया था। ऐसे मामलों में, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है कि बहुत कम लेकिन कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त करना पड़ सकता है। हमारी राय में, मंजुश्री मामले *(2008) 3* एससीसी *512* में निर्धारित सिद्धांत को बिना किसी और जांच के लागू करना व्यापक सार्वजनिक हित या एक कुशल प्रशासनिक मशीनरी स्थापित करने के लक्ष्य में नहीं होगा।

13. हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा *(1974) 3* एससीसी *220* मामले में इस न्यायालय को पंजाब सिविल सेवा *(*न्यायिक शाखा*)* के अधीनस्थ न्यायाधीशों की भर्ती से निपटने के दौरान उस स्थिति से निपटना पड़ा जहां प्रासंगिक नियम न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करते थे। यह भर्ती *15* रिक्त पदों को भरने के लिए थी। *40* अभ्यर्थियों ने न्यूनतम अंक योग्यता अंक *(45%)* प्राप्त किये । केवल *7* उम्मीदवारों को जिन्होंने *55%* और उससे अधिक अंक प्राप्त किए नियुक्त किया गया और शेष रिक्तियां खाली रखी गईं। न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद शेष रिक्तियों को नहीं भरने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने पदों को न भरने के अपने फैसले का बचाव इस आधार पर किया कि न्यायिक सेवा में योग्यता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया था। उच्च न्यायालय ने चुनौती को बरकरार रखा और एक परमादेश ज़ारी किया। अपील में, इस न्यायालय ने पलटवार किया और राय दी कि राज्य की सेवा में भर्ती के उद्देश्य से आयोजित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक

हासिल करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। संदर्भ में, यह आयोजित किया गया था: (सुबाष चंदर मारवाहा मामला, *(1974) 3* एससीसी *220* पृष्ठ *227,* अनुच्छेद *12)*

"12....ऐसे मामले में जहां नियुक्तियां कई योग्य उम्मीदवारों में से चयन करके की जाती हैं, यह सरकार के लिए सक्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखने की दृष्टि से एक स्कोर तय करने के लिए खुला है जो पात्रता (सिर्फ मात्र) के लिए आवश्यक से कहीं अधिक है।

14. दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि सुभाष चंदर मारवाहा *(1974) 3* एससीसी *220* में निर्णय को मंजुश्री- *(2008) 3* एससीसी *512* में उनके आधिपत्य के ध्यान में नहीं लाया गया है। मंजुश्री *(2008) 3* एससीसी *512* में इस न्यायालय ने निर्भर किया पी.के. पर रामचन्द्र अय्यर बनाम भारत संघ *(1984) 2* एससीसी *141,* उमेश चन्द्र शुक्ला बनाम भारत संघ *(1985) 3* एससीसी *721* और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य *(1987) 4* एससीसी *646*। किसी भी मामले में सुभाष चंदर मारवाहा *(1974) 3* एससीसी *220* में निर्णय पर विचार किया गया नहीं था।

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक हितकर सिद्धांत है कि राज्य या उसके उपकरणों को "खेल के नियमों" के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति न दी जाए, जहां तक पात्रता मानदंड के निर्धारण का संबंध है, जैसा कि सी. चन्नबासवैह बनाम मैसूर राज्य एआईआर में किया गया था भर्ती प्रक्रिया और उसके परिणामों में हेरफेर से बचने के लिए *1965* एससी *1293* । क्या इस तरह के सिद्धांत को चयन के लिए

प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले "खेल के नियमों" के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, खासकर जब परिवर्तन की मांग चयन के लिए अधिक कठोर जांच करने के लिए की जाती है, तो इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ की आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम आदेश देते हैं कि इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

चूंकि मंजुश्री के मामले में दिए गए निर्णय पर संदेह है और मामला एक बड़ी पीठ के पास विचार के लिए लंबित है, और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह मेरा विचार है कि मंजुश्री और हेमानी मल्होत्रा में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं है।

22. इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में साक्षात्कार/मौखिक पर बहुत जोर दिया है। न्यायिक सेवाओं की भर्ती में साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। वाइवा-वॉयस किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि यह उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों को सामने लाता है। रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य में (2010) 3 एससीसी 104, इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया: -

"*11.* उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रफीकुद्दीन *(1987)* तितम्बा एससीसी *401;* कृष्ण चंद्र साहू *(डॉ.)* बनाम उड़ीसा राज्य *(1995) 6* एससीसी *1;* मंजीत सिंह बनाम ईएसआई कॉर्पोरेशन *(1990) 2* एससीसी *367* और के.एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय *(2006) 6* एससीसी *395* में इस न्यायालय ने माना कि आयोग/बोर्ड को खुद को संतुष्ट करना होगा कि एक उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में इतने कुल अंक प्राप्त किए हैं कि वह साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर सके और

"मौखिक परीक्षा में पर्याप्त अंक" प्राप्त कर किए जो सेवा के लिए उसकी उपयुक्तता को दर्शाएगा। उम्मीदवारों के गुणों/क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम अनुमत है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो सकता है कि यह अनिवार्य है कि केवल निर्धारित न्यूनतम गुणों वाले व्यक्ति ही/ क्षमताओं का चयन किया जाना चाहिए अन्यथा न्यायपालिका का स्तर कमजोर हो जाएगा और घटिया तत्वों का चयन किया जा सकता है। किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए साक्षात्कार भी सबसे अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि यह उम्मीदवार समग्र बौद्धिक गुणों को सामने लाता है। जबकि लिखित परीक्षा उम्मीदवार के शैक्षणिक ज्ञान की गवाही देगी, मौखिक परीक्षा सतर्कता, संसाधनशीलता, निर्भरता, चर्चा की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व के गुण आदि जैसे समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों को सामने ला सकती है या प्रकट कर सकती है, जो आवश्यक भी हैं एक न्यायिक अधिकारी के लिए ।

12. इसी तरह के विचारों को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने लीला धर बनाम राजस्थान राज्य *(1981) 4* एससीसी *159* और अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य *(1985) 4* एससीसी *417* में साक्षात्कार पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि साक्षात्कार "मूल्यांकन कर सकता है" उम्मीदवार की पहल, सतर्कता, संसाधनशीलता, भरोसेमंदता, सहयोगात्मकता, स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति की क्षमता, चर्चा में प्रभावशीलता, दूसरों से मिलने और व्यवहार करने में प्रभावशीलता, अनुकूलनशीलता, निर्णय , निर्णय लेने की क्षमता,

नेतृत्व करने की क्षमता, कुछ हद तक त्रुटि के साथ बौद्धिक और नैतिक अखंडता।"

23. पूर्ण न्यायालय का दिनांक 12 जनवरी, 2015 का निर्णय, जिसमें मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना विज्ञापित पद पर निष्पक्ष और मेधावी नियुक्ति सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया निर्णय है और इस तरह के निर्णय के लिए उत्तरदाताओं को किसी भी प्रकार की दुर्भावना से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय ने मौखिक परीक्षा आयोजित करने के बाद पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई होती और उसके बाद न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए होते, तो याचिकाकर्ता का तर्क उचित होता। जब पूर्ण न्यायालय का निर्णय मेधावी उम्मीदवार के चयन को सुनिश्चित करने के लिए था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय के निर्णय से चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव आया।

24. याचिकाकर्ता का तर्क है कि न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने का उच्च न्यायालय का निर्णय शेट्टी आयोग की सिफारिशों के खिलाफ़ है और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002) 4 एससीसी 247 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। आगे यह तर्क दिया गया है कि उक्त मामले में, न्यायालय ने शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार में कट-ऑफ अंक नहीं रखने की सिफारिश की गई है।

25. निस्संदेह, शेट्टी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मौखिक परीक्षा में कोई कट-ऑफ अंक नहीं होना चाहिए। शेट्टी आयोग की प्रासंगिक सिफारिश इस प्रकार है:-

"मौखिक परीक्षा पूरी तरह से और वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए और इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए *25* से *30* मिनट का समय लगना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि मौखिक परीक्षा में *50* अंक होंगे और इसमें कोई "मौखिक परीक्षा में कट-ऑफ अंक" नहीं होंगे।

26. माना जाता है कि शेट्टी आयोग ने सिफारिश की है कि मौखिक परीक्षा पचास अंकों की होगी और मौखिक परीक्षा में कोई कट-ऑफ अंक नहीं होंगे। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ केस अनुच्छेद (37) में, इस न्यायालय ने फैसले में विभिन्न संशोधनों के अधीन, शेट्टी आयोग की अन्य सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। जबकि भत्तों, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के तरीके और न्यायिक अधिकारियों के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए आनुपातिक प्रतिशत, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा और सीधी भर्ती के प्रतिशत पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। शेट्टी आयोग की अन्य सिफ़ारिशों के संबंध में विस्तृत चर्चा। जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन का मामला शेट्टी आयोग की सिफारिश पर मौन है कि "मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ अंक नहीं है"। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक तय करना इस न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है, मान्य नहीं है।

27. उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक सेवा नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जहां साक्षात्कार के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित किए हैं। जहां तक एमजेएस नियमों का सवाल है, साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में कट-ऑफ अंक तय करना मनमाना या इस न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

28. मामले का एक और पहलू यह है कि याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और केवल इसलिए कि अंतिम परिणाम में याचिकाकर्ता असफल रहा, वह पलट कर यह तर्क नहीं दे सकता कि चयन के मानदंड बदल दिए गए थे। यह काफी हद तक तय है कि बिना किसी विरोध के चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार को अर्हता प्राप्त करने में विफल रहने पर पलटने और प्रक्रिया पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मदन लाल एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य (1995) 3 एससीसी 486, में इस न्यायालय ने कहा:-

> *"9. ....*अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई उम्मीदवार सुविचारित मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं है, वह पलट नहीं सकता है और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी....
>
> *10.* इसलिए, योग्यता के आधार पर साक्षात्कार परीक्षण के परिणाम को उस उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकती है जो उक्त साक्षात्कार में चयनित होने का मौका लेता है और जो अंततः खुद को असफल पाता है"

29. लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता ने 300 में से 158.50 अंक प्राप्त किये हैं; साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में 50 में से 18.80, कुल 350 में से 177.30 यानि 50.65%। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा नियमों के अनुसार, अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मूल्य को जोड़कर किया जाना है। याचिकाकर्ता ने 50.65 का संचयी प्रतिशत प्राप्त किया है जो ग्रेड 'बी' के बराबर है; यह तर्क दिया गया है कि, यदि उच्च न्यायालय ने

नियमों का पालन किया होता, तो याचिकाकर्ता को चयनित घोषित कर दिया गया होता और उच्च न्यायालय ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित कर दिया है।

30. तर्क के लिए, यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता चयन में सफल रहा, तो भी मेरे विचार से, इससे याचिकाकर्ता को नियुक्ति पाने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाएगा। कुलविंदर पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी 532 में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> *10.* यह काफी हद तक स्थापित है कि केवल इसलिए कि किसी उम्मीदवार का नाम चयन सूची में आ जाता है, इससे उसे नियुक्ति पाने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाएगा। किसी उम्मीदवार का नाम मेरिट सूची में आ सकता है, लेकिन उसे नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है (भारतीय खाद्य निगम बनाम भानु लोध *(2005) 3* एससीसी *618,* ऑल इंडिया एससी और एसटी कर्मचारी एसोसिएशन बनाम ए. आर्थर जीन *(2001) 6* एससीसी *380* और यूपीएससी बनाम गौरव द्विवेदी *(1999) 5* एससीसी *180* के अनुसार।
>
> *11.* यह न्यायालय ने फिर से उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा *(2010) 6* एससीसी *777* में निम्नानुसार आयोजित किया गया*:* (एससीसी पृष्ठ *783,* अनुच्छेद *14* और *16)*
>
> *"14.* जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में आता है, उसे नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नियुक्ति के उद्देश्य के लिए पैनल में शामिल होना पात्रता की एक शर्त है और यह अपने आप में चयन नहीं है या नियुक्त होने का निहित अधिकार नहीं बनाता है।

रिक्तियों को वैधानिक नियमों के अनुसार और संवैधानिक आदेश के अनुरूप भरा जाना चाहिए।"

31. याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई परमादेश ज़ारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2013 का विज्ञापन केवल एक 'अनारक्षित' पद के लिए ज़ारी किया गया था। अगर किसी और को नियुक्त किया गया होता तो याचिकाकर्ता की शिकायत में दम होता। माना जाता है कि उक्त पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई और पद खाली है। इसके बाद के घटनाक्रम भी प्रासंगिक और उल्लेखनीय हैं। एमजेएस ग्रेड-1 के तीन 'अनारक्षित' पदों को भरने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 12 अगस्त, 2015 को नया विज्ञापन ज़ारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने भी उक्त पद के लिए आवेदन किया था। मुकदमेबाजी और उस पर कुछ निर्देशों के कारण, उक्त विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। उक्त पूर्व विज्ञापन के स्थान पर, 4 अगस्त, 2016 को उच्च न्यायालय द्वारा एक नया विज्ञापन ज़ारी किया गया था जिसमें एमजेएस ग्रेड-1 के तीन 'अनारक्षित' और एक 'आरक्षित' पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी 26 अगस्त, 2016 और याचिकाकर्ता ने भी उक्त पद के लिए आवेदन किया। उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि परीक्षाएं अक्टूबर, 2016 में आयोजित होने की संभावना है। जब 2013 की परीक्षा के उक्त पद को अब अन्य रिक्त पदों के साथ जोड़ दिया गया है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन दिया गया है, तो याचिकाकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। पूर्वव्यापी प्रभाव से उक्त पद पर नियुक्ति की मांग करने वाला परमादेश मांगें। याचिकाकर्ता के पास मणिपुर न्यायिक सेवा ग्रेड- । में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के रूप में नियुक्ति पाने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता मांगी गई राहत का हकदार नहीं है।

32. उपरोक्त चर्चाओं के लिए, याचिकाकर्ता मांगी गई राहत का हकदार नहीं है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज़ की जाती है।

शिवा कीर्ति सिंह, न्यायाधिपति

1. मैंने भानुमती, न्यायाधिपति द्वारा लिखे गए फैसले का अध्ययन किया है। चूंकि मैं उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए मैं मामले में शामिल मुख्य मुद्दों पर अपने विचार दर्ज करता हूं।

2. चूंकि प्रतिद्वंद्वी दलों की दलीलों के साथ-साथ नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों सहित अधिकांश प्रासंगिक तथ्य पहले ही निकाले जा चुके हैं, मैं जहां भी आवश्यक हो, ऐसे तथ्यों और वैधानिक प्रावधानों को उधार लूंगा और संदर्भित करूंगा। केवल मौलिक तथ्यों को दोहराने के लिए, यह नोट किया गया है कि 2013 की परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर एक रिक्ति को भरने के लिए प्रासंगिक विज्ञापन 15.5.2013 को प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में खुलासा किया गया कि भर्ती मणिपुर न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') द्वारा शासित होगी। विधिवत भरे हुए आवेदन रजिस्ट्रार, मणिपुर उच्च न्यायालय, इम्फाल को भेजे जाने थे। अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी संकेत दिया गया था, जैसा कि नियमों में स्थिति है, कि मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए एक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे यदि वह अनारक्षित श्रेणी से है और 50% यदि वह आरक्षित श्रेणी से है। मौखिक परीक्षा 50 अंकों की होनी थी। परीक्षा जुलाई 2013 में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 17.10.2013 के अनुसार, संयुक्त रजिस्ट्रार ने सूचित किया कि कोई भी उम्मीदवार अपनी लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुआ। मार्कशीट 29.01.2014 को प्रकाशित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति वर्ग का उम्मीदवार होने के नाते न्यूनतम योग्यता अंक 50% से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

दरअसल उन्हें 52.8% अंक हासिल हुए थे. इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने परिणाम पर पुनर्विचार के लिए 04.02.2014 को एक अभ्यावेदन दायर किया। 07.02.2014 को हाईकोर्ट ने शुद्धिपत्र ज़ारी कर याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में सफल घोषित कर दिया । विदित हो कि याचिकाकर्ता प्रतियोगिता के तहत अनारक्षित एकल पद के लिए एकमात्र सफल उम्मीदवार था। करीब एक साल तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रही । दिनांक 29.01.2015 को एक पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि मौखिक परीक्षा 12.02.2015 को आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ता ने उक्त परीक्षा दी। 19.02.2015 को याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा ज़ारी दिनांक 16.02.2015 के नोटिस से पता चला और उच्च न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर रखा गया कि याचिकाकर्ता साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने में विफल रहा है।

3. याचिकाकर्ता ने कुछ सूचनाओं के लिए 21.02.2015 को अनुरोध किया था मणिपुर उच्च न्यायालय के संबंधित अधिकारी बाबत आरटीआई अधिनियम के तहत। मांगी गई जानकारी में यह सवाल भी शामिल है कि क्या साक्षात्कार के लिए कुल 50 अंकों में से कोई उत्तीर्ण अंक/कट-ऑफ अंक था और उस विशेष नियम का विवरण भी जिसके तहत वह असफल हुआ था । दिनांक 19.03.2015 को खुलासा करते हुए जानकारी प्रदान की गई कि उन्हें मौखिक परीक्षा और कट-ऑफ में 18.8% अंक प्राप्त हुए थे और साक्षात्कार के लिए कुल 50 अंकों में से कट ऑफ अंक/उत्तीर्ण अंक 40% है। उच्च न्यायालय ने किसी विशेष नियम का संदर्भ नहीं दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में योग्य नहीं पाया गया था।

4. यह विवाद में नहीं है और बाद में यह पता चला कि मणिपुर उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने 12.01.2015 को एकमात्र उम्मीदवार-याचिकाकर्ता के साक्षात्कार से कुछ दिन पहले, उत्तीर्ण अंक के रूप में 40% तय करने का निर्णय लिया था मौखिक परीक्षा के लिए। चूँकि याचिकाकर्ता का साक्षात्कार हो चुका था। उच्च न्यायालय के सभी तीन न्यायाधीशों द्वारा मौखिक परीक्षा में और 12.01.2015 को पूर्ण

न्यायालय द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित उत्तीर्ण अंकों के कारण असफल घोषित कर दिया गया था, उसके पास वर्तमान रिट को प्राथमिकता देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था , इस न्यायालय में याचिका मुख्य रूप से उसके मौखिक परीक्षा परिणाम दिनांक 16.02.2015 को रद्द करने और उचित तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एमजेएस ग्रेड-I में नियुक्ति के लिए उसके परिणाम की घोषणा करने और/या कोई उचित और न्यायसंगत राहत देने के लिए मांग करने के लिए है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में।

5. विज्ञापन में उम्मीदवारों को दी गई प्रासंगिक जानकारी, विशेष रूप से परीक्षा की योजना के परिशिष्ट 'ए' में शामिल सामान्य निर्देशों का अवलोकन स्पष्ट रूप से बताता है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार लिखित परीक्षा में 50% अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे । यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उम्मीदवारों का चयन लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मूल्य के आधार पर किया जाएगा। मेरे विचार में संचयी ग्रेड के आधार पर चयन के लिए वैधानिक आदेश में अधिकारियों को दोनों परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने, संचयी ग्रेड के लिए कुल अंकों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने और ऐसी मेरिट सूची से चयन करने की आवश्यकता होती है।

6. इस शासनादेश का उल्लंघन एक कारण से किया गया जिसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि मौखिक परीक्षा के उद्देश्य के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया है लेकिन वह केवल मौखिक परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए है। लिखित और मौखिक परीक्षा में ग्रेडिंग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का तरीका सामान्य निर्देशों में दर्शाया गया है और इसे भानुमति न्यायाधिपति के निर्णय में पहले ही नोट किया जा चुका है। ग्रेड 'एफ' जो नीचे अंकों के प्रतिशत के लिए प्रदान करता है 40% संख्यात्मक ग्रेड '0' से मेल खाता है, लेकिन इसके अलावा उच्च न्यायालय की ओर से इस दलील का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है कि 'एफ'

लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा में विफलता का संकेतक है। लिखित परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक, नियमों के तहत अलग से प्रदान किया जाता है, इस प्रभाव के अनुसार लिखित परीक्षा में 200 अंक होने चाहिए और कट-ऑफ अंक सामान्य उम्मीदवारों के लिए 60% या संबंधित ग्रेड और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 50% या संबंधित ग्रेड होना चाहिए। इसलिए 'सी' द्वारा दर्शाया गया 40% से 49% भी लिखित परीक्षा के लिए असफल अंक का प्रतीक है और इसलिए यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि 40% से नीचे का 'एफ' असफल अंक का प्रतीक है। इसके अलावा जब नियम स्पष्ट रूप से लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक निर्दिष्ट करते हैं और मौखिक परीक्षा के संबंध में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं करते हैं। इसके विपरीत यह प्रदान करें कि अंतिम चयन सूची लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त संचयी ग्रेड मान को मिलाकर होगी, केवल मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक या उत्तीर्ण अंक को समझने के उद्देश्य से नियमों में एक समान विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यह प्रासंगिक समय पर वहां नहीं था इसे बहुत बाद में 2016 में पेश किया गया है।

7. मेरे विचार में नियम और निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि अतीत में मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ अंक या उत्तीर्ण अंक नहीं था और इसलिए उच्च न्यायालय ने 12.01.2015 को एक विशिष्ट संकल्प किया कि किसी को भी मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित और नियुक्ति के लिए चयनित नहीं किया जायेगा जब तक वह साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त नहीं कर लेता । नियमों में जोड़ने की इस शक्ति का दावा नियमों की अनुसूची 'बी' के नियम 1 के उप-नियम (3) के प्रावधानों से किया गया है, जो भर्ती प्राधिकारी को इन नियमों के तहत भर्ती के लिए "इन नियमों में प्रदान नहीं किए गए सभी आवश्यक कदम" उठाने का अधिकार देता है। नियम.....।" मेरे विचार में 12.01.2015 को उच्च न्यायालय का संकल्प नियमों में इस प्रावधान को व्यक्त करने के विपरीत था कि दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर

अंतिम मेरिट सूची कैसे तैयार की जानी थी। लिखित परीक्षा के लिए प्रावधान करते समय मौखिक परीक्षा के लिए कोई उत्तीर्ण अंक प्रदान नहीं करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि नियमों ने जानबूझकर मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ निर्धारित नहीं किया है। इसका स्पष्टीकरण शेट्टी आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों में निहित है। भर्ती के लिए ऐसी परीक्षा के संबंध में नियम अधिकांश सिफारिशों की लगभग शब्दशः नकल हैं। स्पष्ट रूप से, उन्होंने शेट्टी आयोग की सिफारिश का भी पालन किया कि मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट ऑफ या फेल अंक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ऐसी चूक इच्छित परिणाम को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी। यहां कोई अंतराल या शून्यता नहीं थी और इसलिए नियमों का खंड 1(3) लागू नहीं होता है। इसलिए, पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए प्रस्ताव द्वारा नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता था। हमें सूचित किया गया है कि अंततः दिनांक 09.03.2016 की अधिसूचना द्वारा नियमों को औपचारिक रूप से संशोधित किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़ारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इसे अनुसूची 'बी' के तहत सामान्य निर्देशों में शामिल किया गया है कि साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही चयन सूची में शामिल किया जाने के पात्र होंगे । जाहिर तौर पर यह संशोधित नियम भविष्य में निर्दिष्ट तिथि से ही लागू होना है। लेकिन किसी भी मामले में इसे पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया है और यह सही भी है क्योंकि भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले ऐसे नियमों में खेल खेले जाने के बाद परिणामों को प्रभावित करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया के बीच में साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक प्रदान करके चयन प्रक्रिया में बदलाव लाने का विवादित कार्य जो पहले ही शुरू हो चुका

है जो खेल के नियमों को बदलने के बराबर है और इसलिए अस्वीकार्य है, यह के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2008) 3 एससीसी 512 साथ ही हेमानी मल्होत्रा वगै. बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2008) 7 एससीसी 11 के मामले में फैसले से अच्छी तरह से समर्थित है। मेरे विचार में एक बार जब याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला एकमात्र उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, तो यह कम मायने रखता है कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक उसे साक्षात्कार के लिए बुलाने से पहले या बाद में पेश किए गए थे। याचिकाकर्ता या उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि मौखिक परीक्षा के लिए कोई अलग कट-ऑफ या पास मार्क नहीं है, साक्षात्कार के लिए अतिरिक्त तैयार होने का कोई दबाव महसूस नहीं करेगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, 12.01.2015 को मौखिक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक के रूप में 40% तय करने के पूर्ण न्यायालय के फैसले के बाद, याचिकाकर्ता को इस विकास के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था, कम से कम जब पत्र दिनांक 29.01.2015. से साक्षात्कार की तारीख की सूचना उसे दी गई थी। चूँकि मौखिक परीक्षा दिनांक 12.02.2015 को आयोजित की गई थी, इसलिए उसे नई शुरू की गई 40% कट-ऑफ को पूरा करने के लिए अपनी तैयारियों में सुधार करने के लिए कुछ समय मिल गया होता । ऐसा नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में, मुझे के. मंजुश्री के साथ-साथ हेमानी मल्होत्रा के मामले को अलग करने के लिए कोई सामग्री, कारण या परिस्थिति नहीं मिलती है। मेरे विचार में उच्च न्यायालय के पास उन नियमों की योजना को बदलने की शक्ति नहीं थी जो केवल लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक निर्धारित करते थे, मौखिक परीक्षा के लिए जानबूझकर इसे हटा दिया और दोनों अंकों को जोड़ने के बाद अंतिम परिणाम की गारंटी दी। यदि तर्कों के लिए, ऐसी शक्ति स्वीकार कर ली जाती है तब भी याचिकाकर्ता के समय खेल के नियमों को बदलने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था जब याचिकाकर्ता को मैदान में अकेला छोड़ दिया गया था और नियमों को बीच में बदलने के अलावा अयोग्य

घोषित नहीं किया जा सकता था। हेमानी मल्होत्रा के मामले में पिछले फैसले में निकाला गया अनुच्छेद 15 के. मंजुश्री के मामले के फैसले की तरह ही पूरी ताकत से लागू होता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उन निर्णयों पर सही निर्भर किया है। रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य 3 (2010) 3 एससीसी 104 के मामले में निर्णय न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 की सिफारिशों से कुछ प्रेरणा लेता है, लेकिन पहले से ही तय और अनुच्छेद 15 में बताए गए सामान्य कानून भी स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के मामले में मदद करते हैं। मेरे विचार में वैधानिक नियमों में चयन का एक विशेष तरीका निर्धारित किया गया था जिसके लिए मौखिक परीक्षा के लिए किसी भी उत्तीर्ण अंक की आवश्यकता नहीं थी और कम से कम चल रही भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक इसका कड़ाई से पालन किया जाना था। चूँकि प्रक्रिया पहले से ही नियमों द्वारा निर्धारित की गई थी, वर्तमान मामले में मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के रास्ते में कानून की स्पष्ट बाधा थी जो केवल याचिकाकर्ता के लिए थी क्योंकि वह लिखित परीक्षा में सफल एकमात्र अभ्यर्थी था। मेरे विचार में याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित था और हालांकि पक्षपात का कोई मामला पेश नहीं किया गया है, लेकिन विवादित कार्रवाई वैध रूप से कानून में द्वेष की आलोचना को आकर्षित करेगी।

9. केवल उपरोक्त कारणों से, मेरे विचार में, वर्तमान मामले में शेट्टी आयोग की सिफारिशों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि राज्य सरकार पदों को न भरने का निर्णय ले सकती है यदि यह मानने के कारण हैं कि चयनित उम्मीदवार को नियुक्त करने से योग्यता के आवश्यक मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में वह स्थिति कभी नहीं आई थी। इसलिए आदेश द्वारा उपरोक्त प्रकृति के मुद्दे में एक बड़ी पीठ के निर्णय को संदर्भित किया गया है तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य (2013) 4 एससीसी 540 के मामले का जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले का

इस मामले के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य (1974) 3 एससीसी 220 के मामले में निर्धारित कानून केवल उस स्तर पर लागू होता है जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर यदि किसी चयनित उम्मीदवार को अच्छे कारणों से नियुक्ति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार के पास नियुक्ति के अधिकार का दावा करने का अपरिहार्य अधिकार नहीं हो सकता है। मनमानी के किसी भी आरोप पर प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर पाए जाने के अधीन, कार्रवाई का यह तरीका वैध होगा। लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले में इस स्तर तक नहीं पहुंचा जा सका है। चयन प्रक्रिया के दौरान लिए गए पूर्ण पीठ के प्रस्ताव के आधार पर उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मेरे विचार में उस प्रक्रिया को ज़ारी रखा जाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से पूरा किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा बाद में किए गए परिवर्तनों या नियमों में बाद के संशोधनों की परवाह किए बिना।

10. इसलिए अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002) 4 एससीसी 247 के मामले में फैसले के प्रभाव पर विचार नहीं किया जा रहा है और इस मुद्दे को उचित मामले में निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि शेट्टी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उपरोक्त निर्णय सब-साइलेंशिओ (मौन) का क्या प्रभाव है कि मौखिक परीक्षा में कोई कट-ऑफ अंक नहीं होंगे। मेरे विचार में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक सेवा नियम याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जिन्हें उन नियमों द्वारा शासित किया जाना है, जिन पर मैं पहले ही अपना विचार व्यक्त कर चुका हूं कि उन्होंने जानबूझकर मौखिक परीक्षा के लिए कोई कट-ऑफ अंक प्रदान नहीं किया है और इसके स्थान पर लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के अंकों को जोड़कर अंतिम परिणाम तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

11. मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य (1995) 3 एससीसी 486 के मामले में निर्धारित कानून मेरे विचार से यह याचिकाकर्ता के रास्ते में बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के बारे में सूचित नहीं किया गया। यह न तो नियमों का हिस्सा था और न ही विज्ञापन का और इसलिए सिद्धांत है कि यदि कोई उम्मीदवार एक परिकलित मौका लेता है और चयन प्रक्रिया का सामना करता है तो परिणाम प्रतिकूल होने पर, उसे पलटने और चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यह बिलकुल भी आकर्षित नहीं होता है। सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि विवादित प्रक्रिया या नियम पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और इसलिए, जब उम्मीदवार भाग लेता है तो उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। जहां कुलविंदर पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2016) 6 एससीसी 532 में फैसले का संबंध है, मैं उससे और भानुमती, न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हूं कि केवल चयनित पैनल में होने से याचिकाकर्ता या किसी अन्य को एक नियुक्ति पाने का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाता है। लेकिन रिक्तियों, जैसा कि पैराग्राफ 11 में उजागर किया गया है, को वैधानिक नियमों के अनुसार और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप भरा जाना है। मुझे उस फैसले में कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार के खिलाफ़ कुछ भी नहीं दिखता है मौखिक परीक्षा में याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करना उत्तीर्ण अंक मानदंड को नजरअंदाज करके जो उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई और फिर मौखिक परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर नियमों के अनुसार आगे बढ़ना। अधिकारियों की सभी कार्यवाहियों को तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और यदि याचिकाकर्ता को एकमात्र सफल उम्मीदवार होने के बावजूद नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाती है, तो उत्तरदाताओं को कुलविंदर पाल सिंह और इसी तरह के अन्य मामलों के आधार पर चुनौती दी जाने पर अपनी कार्रवाई के निर्णय को उचित

ठहराना पड़ सकता है । जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, वह चरण अभी आना बाकी है।

12. परिणामस्वरूप, मेरे विचार में याचिकाकर्ता रिट याचिका में मांगी गई राहत का हकदार है, जिसे ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता का दिनांक 16.02.2015 का मौखिक परीक्षा परिणाम, जिसमें उसे 'असफल' दिखाया गया था, रद्द कर दिया जाएगा। उत्तरदाताओं को इस निर्णय में की गई चर्चा के अनुसार एमजेएस ग्रेड । में नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का परिणाम तुरंत और किसी भी मामले में चार तितम्बा ्ताह के भीतर घोषित करना होगा । मामले के विशिष्ट तथ्यों में, मेरे विचार में, मौखिक परीक्षा परिणाम की तारीख से उचित अवधि के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से एमजेएस ग्रेड । में याचिकाकर्ता की नियुक्ति का निर्णय, जो 16.02.2015 था या कहें 16.02.2015 से प्रभावी था। 01.04.2015 को उपरोक्त चार तितम्बा ्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश की जाती है और वह सेवा में शामिल होता है, तो उसे वेतन आदि के रूप में वेतन उसी दिन से मिलेगा, जिस दिन वह पद पर काम करना शुरू करेगा। पिछली अवधि के लिए वह केवल वेतन वृद्धि के काल्पनिक लाभों और पेंशन संबंधी लाभों के लिए सेवा की अवधि का हकदार होगा, जब भी भविष्य में अवसर आएगा। याचिकाकर्ता की रिट याचिका तदनुसार सफल होती है। याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये की लागत का हकदार माना जाता है।

आदेश

1. चूंकि हमारे द्वारा सुनाए गए असहमतिपूर्ण निर्णयों के मद्देनजर हमारे बीच मतभेद है, इसलिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करने के बाद अंतिम निर्णय के लिए उचित पीठ के समक्ष रखा जा सकता है। मामला उचित बेंच को भेजा गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।